



# BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 28 नम्बर, 2024

थाना डिबाई

**सवारियों को गाडी में बैठाकर उनके साथ लूटपाट/चोरी/ठगी करने वाले गिरोह के 06 शातिर सदस्य (05 पुरुष व 01 महिला) गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी किये गये 01 लाख 39 हजार रुपये नकद, आभूषण, घटना में प्रयुक्त 02 गाडी व अवैध असलहा कारतूस बरामद ।**

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 27-11-2024 को थाना डिबाई पुलिस व स्वाट टीम देहात द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर सवारियों को गाडी में बैठाकर उनके साथ लूटपाट/चोरी/ठगी की घटना कारित करने वाले गिरोह के 06 शातिर सदस्यों (05 पुरुष व 01 महिला) को हीरापुर जाने वाले रास्ते पर पौधशाला के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट/चोरी/ठगी किये गयी नकदी, आभूषण, घटना में प्रयुक्त 02 गाडी व अवैध असलहा कारतूस बरामद किये गये।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना डिबाई पर मुअसं-649/2024 धारा 312/313/317(2)/317 (4)/317 (5) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. सुरेन्द्र पुत्र सत्यवीर निवासी जमालपुर राबिया मस्जिद थाना क्वासी अलीगढ अस्थाई पता तम्बू मिर्जापुर सिया बाईपास थाना क्वासी अलीगढ व रामा डेयरी के पास थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
2. सौदान सिंह पुत्र महावीर निवासी जमालपुर थाना क्वासी अलीगढ व अस्थाई पता मंदी नगला आगरा रोड थाना मडराक जनपद अलीगढ।
3. मोहित पुत्र चन्द्रपाल उर्फ ब्रजपाल निवासी रेलवे स्टेशन के सामने झुग्गी थाना बहजोई संभल व अस्थाई पता जोगीपुरा थाना खरखौदा जनपद मेरठ।
4. सनी पुत्र विनोद निवासी गेसूपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
5. नीरज पुत्र पप्पू निवासी बडा बझेडा थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
6. सोनिया पुत्री चन्द्रपाल उर्फ ब्रजपाल निवासी रेलवे स्टेशन के सामने झुग्गी थाना बहजोई संभल व अस्थाई पता जोगीपुरा थाना खरखौदा जनपद मेरठ।

## बरामदगी-

1. 1,39,700/- रुपये नकद
2. 01 अंगूठी पीली धातु, 01 जोडी पाजेब सफेद धातु, अन्य आभूषण
3. 02 तमंचे मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
5. 02 चाकू
6. 01 गाडी मारुति सुजूकी नम्बर-डीएल-5सीएफ 1936(घटना में प्रयुक्त)
7. 01 गाडी ईको नम्बर- डीएल-2सीएपी 8422(घटना में प्रयुक्त)

उल्लेखनीय हैं कि अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रोड पर सवारी का इंतजार कर रहे राहगीरों को अपनी गाडी में बैठाते हैं फिर मौका देखकर उनका सामान चोरी कर लेते हैं या उनके साथ लूटपाट कर उन्हें सुनसान जगहों पर छोड़कर भाग जाते हैं। अभियुक्तों द्वारा इस तरह की घटनाएं ज्यादातर महिलाओं के साथ की जाती हैं। बरामद गाडियों के बारे में अभियुक्तों ने बताया कि इन गाडियों का प्रयोग उनके द्वारा घटना कारित करने में किया जाता है।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 20-11-2024 को थाना डिबाई क्षेत्रान्तर्गत भीमपुर दोराहे से कुछ सवारियों को गाडी में बैठाकर उनका सामान, आभूषण, रुपये आदि चोरी कर उन्हें रास्ते में उतारकर फरार हो गये थे। इस सम्बन्ध में थाना डिबाई पर मुअसं-638/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं। इस घटना से सम्बन्धित 01 लाख 30 हजार रुपये नकद बरामद किये गये हैं।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 21-11-2024 को थाना स्याना क्षेत्रान्तर्गत हापुड अड्डें से 01 महिला को गाडी में बैठाकर उसके बैग से 01 जोडी पाजेब व रुपये चोरी कर उसे रास्ते में उतारकर फरार हो गये थे। इस सम्बन्ध में थाना स्याना पर मुअसं-508/24 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस पंजीकृत हैं। इस घटना से सम्बन्धित 01 जोडी पाजेब बरामद की गयी हैं।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 24-11-2024 को थाना स्याना क्षेत्रान्तर्गत रिलायंस पेट्रोल के पास से 01 व्यक्ति को हनुमान मंदिर के दर्शन कराने का झांसा देकर उससे 01 अंगूठी व कुछ रुपये ले लिये तथा वहां से फरार हो गये थे। इस सम्बन्ध में थाना स्याना पर मुअसं-510/24 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस पंजीकृत हैं। इस घटना से सम्बन्धित 01 अंगूठी व 5700/- रुपये नकद बरामद किये गये हैं।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 02-10-2024 को थाना डिबाई क्षेत्रान्तर्गत त्रिलोकपुर बेलोन मार्ग पर 01 व्यक्ति को सुनसान जगह पर अकेला देखकर उसके साथ मारपीट कर लूटपाट कर फरार हो गये थे। इस सम्बन्ध में थाना डिबाई पर मुअसं-531/24 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत हैं। इस घटना से सम्बन्धित 04 हजार रुपये नकद बरामद किये गये हैं।

#### **अभियुक्त सुरेन्द्र का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं-258/2019 धारा 379/411 भादवि थाना बिल्सी जनपद बंदायू।
2. मुअसं-259/2019 धारा 379/411 भादवि थाना बिल्सी जनपद बंदायू।
3. मुअसं-292/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिल्सी जनपद बंदायू।
4. मुअसं-917/2021 धारा 379/411 भादवि थाना क्वार्सी अलीगढ।
5. मुअसं-625/2021 धारा 379/411/13 भादवि थाना गांधी पार्क अलीगढ।
6. मुअसं-251/2021 धारा 379 भादवि थाना मडराक अलीगढ।
7. मुअसं-486/2021 धारा 379/411 भादवि थाना सिविल लाईन्स अलीगढ।
8. मुअसं-09/2023 धारा 379/411 भादवि थाना सैक्टर 126 गौतमबुद्धनगर।
9. मुअसं-140/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फिरोजाबाद शिकोहाबाद।
10. मुअसं-225/2021 धारा 379 भादवि थाना हसायन जनपद हाथरस।
11. मुअसं-638/2024 धारा 303(2)/317 (2) बी0एन0एस0 थाना डिबाई बु०शहर।
12. मुअसं-531/2024 धारा 309 (6) / 317 (2) बी0एन0एस0 थाना डिबाई बु०शहर।
13. मुअसं-649/2024 धारा 312/313/317(2)/317 (4)/317 (5) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
14. मुअसं-508/2024 धारा 318(4)/316(2)/317 (2) बी0एन0एस० थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
15. मुअसं-510/2024 धारा 318 (4)/316(2)/317 (2) बी0एन0एस० थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

#### **अभियुक्त मोहित का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं-258/2019 धारा 379/411 भादवि थाना बिल्सी जनपद बंदायू।
2. मुअसं-259/2019 धारा 379/411 भादवि थाना बिल्सी जनपद बंदायू।
3. मुअसं-292/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिल्सी जनपद बंदायू।

4. मुअसं-638/2024 धारा 303 (2)/317 (2) बी0एन0एस0 थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-649/2024 धारा 312/313/317(2)/317(4)/317(5) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-508/2024 धारा 318 (4)/316(2)/317 (2) बी0एन0एस0 थाना जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं-510/2024 धारा 318(4)/316(2)/317 (2) बी0एन0एस0 थाना जनपद बुलन्दशहर।

#### अभियुक्त सौदान सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 258/2019 धारा 379/411 भादवि थाना बिल्सी जनपद बंदायू।
2. मुअसं- 259/2019 धारा 379/411 भादवि थाना बिल्सी जनपद बंदायू।
3. मुअसं- 292/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिल्सी जनपद बंदायू।
4. मुअसं- 638/2024 धारा 303 (2)/317 (2) बी0एन0एस0 थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 531/2024 धारा 309 (6)/317(2) बी0एन0एस0 थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 649/2024 धारा 312/313/317(2)/317 (4)/317 (5) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 508/2024 धारा 318 (4)/316(2)/317 (2) बी0एन0एस0 थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 510/2024 धारा 318 (4)/316(2)/317 (2) बी0एन0एस0 थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

#### अभियुक्त सनी का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 649/2024 धारा 312/313/317(2)/317 (4)/317 (5) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 510/2024 धारा 318 (4)/316(2)/317 (2) बी0एन0एस0 थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

#### अभियुक्त नीरज का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 649/2024 धारा 312/313/317 (2)/317 (4)/317 (5) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 510/2024 धारा 318 (4)/316(2)/317 (2) बी0एन0एस0 थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

#### अभियुक्ता सोनिया का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 638/2024 धारा 303 (2) / 317 (2) बी0एन0एस0 थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 649/2024 धारा 312/313/317(2)/317(4)/317(5) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 508/2024 धारा 318 (4)/316(2)/317 (2) बी0एन0एस0 थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 510/2024 धारा 318 (4)/316(2)/317 (2) बी0एन0एस0 थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

#### गिरफ्तार करने वाली थाना डिबाई पुलिस टीम-

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौर प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई
2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला, म0उ0नि0 सविता शाक्य, उ0नि0 हरेन्द्र सिंह
3. का0 अवनिश कुमार, का0 नगेन्द्र हुड्डा, का0 प्रिन्स शर्मा, का0 सूरज कुमार, का0 सचिन कुमार, का0 योगेन्द्र बघेल

#### स्वाट टीम देहात-

1. श्री लोकेश अग्निहोत्री प्रभारी स्वाट टीम देहात
2. है0का0 नितिन कुमार शर्मा, है0का0 मनीष कुमार, है0क0 कुलदीप सिंह, का0 आकाश कुमार, का0 विपिन कसाना, का0 अजय सोलंकी

